

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,

पशुपालन विभाग, मेरठ/बागपत/बुलन्दशहर/गाजियाबाद/हापुड़/गौतमबुद्धनगर/सहारनपुर/
मुजफ्फरनगर/शामली/मुरादाबाद/अमरोहा/बिजनौर/रामपुर/सम्भल/आगरा/फिरोजाबाद/
मैनपुरी/मथुरा/अलीगढ़/कासगंज/हाथरस/एटा/बरेली/बदौयू/शाहजहाँपुर/पीलीभीत/
कानपुरनगर/कानपुरदेहात/कन्नौज/इटावा/औरैया/फर्रुखाबाद/लखनऊ/रायबरेली/हरदोई
/सीतापुर/उन्नाव/खीरी/फैजाबाद/बाराबंकी/सुल्तानपुर/अम्बेदकरनगर/अमेठी/गोण्डा/
बहराइच/श्रावस्ती/बलरामपुर/बस्ती/सिद्धार्थनगर/संतकबीरनगर/गोरखपुर/देवरिया/
कुशीनगर/महराजगंज।

पत्रांक 167 / चारा / 3-डी०-59 / रा०यो / 2015-16

दिनांक 15 मार्च, 2016

विषय:- प्रदेश के पशुपालकों को पशुओं के लिये पौष्टिक चारा खिलाकर पशु उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु अपौष्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना (राज्य योजना)।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के बजट आवंटन पत्र संख्या-574/बजट/29(5) अनु०-15/31/2015-1/दिनांक 29.02.2016 एवं दिशा निर्देश निर्गत पत्र सं० 47/प०-2/चारा/3-डी०-59 रा०यो/2015-16 दिनांक 03 मार्च, 2016 एवं पत्र संख्या -65/चारा/3-डी०-59/रा०यो/2015-16 दिनांक 08 मार्च, 2016 का अवलोकन करें।

इस संबंध में कहना है कि उक्त योजनान्तर्गत आवश्यक सामग्री यथा पॉलीथीन एवं स्प्रिंकलर का क्रय अनुमोदित दरों पर आप द्वारा की जानी है। आपूर्तित सामानों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु सैम्पुल निदेशालय से आपके जनपद हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। आपूर्तित सामानों का मिलान कराने के उपरान्त सैम्पुल केन्द्रीय भण्डार में सुरक्षित रखें। विभागीय अधिकारियों की एक समिति गठित कर आपूर्तित सामानों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करायी जाय। यथासंभव महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं प्रधानाचार्य, आई०टी०आई० को भी आमंत्रित कर लें।

भवदीय,



(डा० राजेश बाबू वाष्ण्य),

निदेशक,

प्रशासन एवं विकास।